

**असमिकाय**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**सत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

संलग्नक दिनांक: 15-5-2019

:- कार्योत्तर :-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद द्वारा वित्तवर्ष 2019-20 हेतु विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता निवेदन प्रदान किए गये हेतु दिनांक 14-5-2019 को अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक अगला हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अपेक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारंपरिक/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कटौती हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-17 में विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने वाली नई संस्था एवं पुरानी संस्था सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान निवेदन-निर्णय को निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2053	जयशंकर कालज शैक्षिक फार्मसी एण्ड रिटर्न, दिल्ली-एनडी, उत्तर प्रदेश-दिल्ली-एनडी	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ए0ए0 1987 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992 (एच0 अन्वय निर्मित नियमों) एवं अधिनियम के अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन लाख रुपये का प्रत्येक हेतु रु0 30,150,00/- प्रतिवर्ष को वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं ए0ए0 उत्तर प्रदेश की वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0- 22,500,00 प्रतिवर्ष शुल्क को प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त



**कार्यालय,  
राजिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
सततर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

तखनऊ दिनांक: 15-8-2020

**:-कार्यालय छाप:-**

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मरी कलासिखल अफि इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैडिग-सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा सरीस राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तपरात प्राथमिक शिक्षा परिषद, सततर लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल, प्राथमिक शिक्षा परिषद, सततर लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता मुक्ति सभिति अन्य मादे पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपल को अनुक्रम में सम्बद्धता सभिति की बैठक के माद-3 में डिप्लोमा इन फार्मरी पाठ्यक्रम संघानित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता सभिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"नेजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, सततर लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथापत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम से सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता सभिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, सततर लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2053	आर्वाकुल प्रोसेज अफि फार्मरी एन्ड रिस्च सैतापुर, दिल्ली-जाण्डापुर पो-गलवा ज्लाक-सिमौली, सैतापुर।	डिप्लोमा इन फार्मरी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एआईओसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था सततर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमधाली 1992, सेमेस्टर विनियमधाली-2010 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सभिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीस वर्षीय इजी पाठ्यक्रम हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मरी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शारान द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया



प्राप्त आवश्यक होगा। नीचे निर्दिष्ट सविधि द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीचे का पूर्वाभिलेख किया जाता है तो नीचे दी शर्तियाँ पर लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा सविधियों तथा यम सविधियों, संस्थानों को सम्बद्ध किया जाना) विधिवतपूर्वक-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित आसनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को राज्य-राज्य पर विदेश भाषा-प्रवेश के अनुसार विभाजन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/एडमिशन से अगली बार हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ राज्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताने वाले सभी शिक्षा/विद्यार्थी/अभियन्तरी/भाषा-प्रवेश/विद्यार्थी एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा आदेश, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए आदेशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही माध्यमों की सहायता से पूर्ण शिक्षा, यदि दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त छात्रवृत्तियाँ संस्था का होगा और प्रत्येक छात्र को दिल्ली की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए आदेशों का पालन किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में यह आवश्यकता है कि प्रत्येक छात्र की प्रविष्टि संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रविष्टि संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही माध्यमों से संबंधित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व सीटों/आसनों से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद समन्वय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत परीक्षा अर्थसूचि नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-संज्ञा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्तियाँ शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त बातवचन उपलब्ध करने के साथ वैशेष संकेतों के सम्बद्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित माध्यमों को चलाने जाने हेतु निर्माण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य माध्यमों के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित किया जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुवाक्यात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(श्री आर.के. सिंह)  
सचिव

पुंरसं- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

सद दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, आर्याकुल कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड रिसर्च सीतापुर, जिला-जाज्जापुर, पो-मनवा  
ब्लाक-सिवाली, सीतापुर।

(श्री आर.के. सिंह)  
सचिव

## कार्यालय,

राजित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या - प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

### कार्यालय सार:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी कालेज/विश्व-ऑफ-इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा योद्धक सत्र 2021-22 हेतु शिक्षणमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सारित तारा सत्र 2021-22 हेतु उपरोक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता/ जुद्ध सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2053-ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH  
SITAPURI, VILL-JAJJAPUR POST-MANWA BLOCK SIDHAULI, SITAPUR-261303

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उ० प्र० समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी रात हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनने वाले विधि/नियमों/अधिनियमों/कार्यनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में ग्रा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH SITAPURI, VILL-  
JAJJAPUR POST-MANWA BLOCK SIDHAULI, SITAPUR-261303



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव